# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.105/अपील/2022
( GCMS No. 2022/222 )

प्रविष्टि दिनांक
01.11.2022

निर्णय दिनांक
29.07.2025

जितेन्द्र चौहान आ. कमलेश कुमार जाति धोबी,
निवासी विकास नगर बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सीताराम आ. लटूर जाति धोबी
   निवासी खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. राधेश्याम आ. लटूर जाति धोबी
   निवासी खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. फत्ता आ. लटूर जाति धोबी
   निवासी खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. मृतक चन्दुबाई पुत्री जगन्नाथ जाति धोबी, निवासी खलुन्दा,
   ( जर्ये कायम मुकाम ) :—

4/1.कन्हैयालाल पुत्र चन्दुबाई जाति धोबी निवासी खलुन्दा, तह.तालेडा
4/2.महावीर पुत्र चन्दुबाई जाति धोबी, निवासी खलुन्दा, तह.तालेडा
4/3.भरतलाल पुत्र चन्दुबाई जाति धोबी, निवासी खलुन्दा, तह.तालेडा
4/4.कैलाश पुत्री चन्दुबाई पत्नी मडा जाति धोबी, निवासी खलुन्दा
4/5.सोभाग पुत्री चन्दुबाई पत्नी हेमराज जाति धोबी, निवासी खलुन्दा
4/6.सुमित्रा पुत्री चन्दुबाई पत्नी राजू जाति धोबी, निवासी खलुन्दा

5. कांता बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धोबी
   निवासी खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
6. शांता बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धोबी
   निवासी खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
7. राधेश्याम आ. लक्ष्मीचंद जाति धोबी, नि. हाल लालबुर्ज श्रीपुरा, कोटा
8. हरिओम आ. लक्ष्मीचंद जाति धोबी, नि. हाल लालबुर्ज श्रीपुरा, कोटा
9. राजू आ. लक्ष्मीचंद जाति धोबी, नि. हाल लालबुर्ज श्रीपुरा, कोटा
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 10 की ओर से पेरोकार सरकार।

## निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1418 दिनांक 12.07.2022 ग्राम खलुन्दा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी की मिसल सं. 100/अपील/2012 निर्णय दिनांक 02.09.2013 की पालना में एवं तहसील आदेश क्रमांक भू.अ./22/4071–72 दिनांक 20.06.2022 की पालना में न्यायालय आदेश का नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 105/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/222 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 9 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

बहस वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालतेहुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि ख.सं. 201/646 रकबा 01 बिस्वा, ख.सं. 874 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं. 876 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं. 1132 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम खलुन्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है। जिसके तत्कालीन खातेदार जगनी बेवा जगन्नाथ जाति धोबी, निवासी खलुन्दा थी। खातेदार जगनी का स्वर्गवास होने पर उसके मौजूदा वारिसान लटुर, चंदु बाई, कांता बाई व शांता बाई के नाम इंतकाल संख्या 699 दिनांक 14.06.2001 खोला गया और जमाबंदी में उक्त चारों वारिसान का नाम अंकन हो गया। जमाबंदी में अंकन के आधार पर खातेदारान द्वारा खसरा सं. 874 एवं 876 की भूमि जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2001 से प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपीलांट को कब्जा संभला कर विक्रय की गई। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल सं. 719 दिनांक 03.04.2002 को खोला गया, तब से ही अपीलांट अपनी क्रयशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार रेस्पो.की जानकारी में बेरोकटोक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में लटूर व चंदूबाई का स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गीय लटूर के वारिस रेस्पो.सं.1

जिला कलक्टर, बून्दी

लगायत 3 एवं स्वर्गीय चंदूबाई के वारिस रेस्पो.सं.4/1 लगायत 4/6 है। अपीलांट को दिनांक 29.09.2022 को रेस्पो. द्वारा धमकी दी गई कि जमीन से अपीलांट का नाम समाप्त हो गया है, इसलिए जमीन पर हम कब्जा करके रहेंगे। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 29.09.2022 को जानकारी की तथा उसी दिन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की गई, तो पता चला कि अपीलांट का नाम हटाकर उसके स्थान पर मृतक जगनी के नाम इंतकाल सं. 1418 दिनांक 12.07.2022 खोल कर दिनांक 19.07.2022 को स्वीकृत कर दिया है। रेस्पो.सं. 1 लगायत 9 में आपस में कपटसंधि हो गयी है और कपटसंधि के चलते रेस्पो.सं. 7 लगायत 9 के द्वारा इंतकाल सं. 699 की अपील इस न्यायालय में पेश करवा दी गई, जो प्रकटतः ही चलने योग्य नहीं थी, लेकिन रेस्पो.सं.1 लगायत 6 द्वारा अपील का विरोध नहीं किया गया, जिससे उक्त अपील स्वीकार कर नामा.सं.699 निरस्त करवा लिया। अपील के समय अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज काश्त खातेदार दर्ज रेकार्ड था, इसके बावजूद खातेदार अपीलांट को उक्त अपील में पक्षकार बनाये बिना जानबूझकर कपटसंधि कर बेचाननामें के आधार पर खुले हुये इंतकाल सं. 719 के आधार पर दर्ज अपीलांट के नाम को गुपचुप तरीके से हटवाकर मृतक व्यक्ति का नाम दर्ज करवा दिया। इस कारण उक्त आदेश अपीलांट के विरूद्ध प्रभावहीन है तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर अपीलांट के हक में खोला गया इंतकाल सं.719 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने से वर्तमान में प्रभावी है। रेस्पो. द्वारा तथ्यों को छिपाकर पेश की गई उक्त अपील में पारित आदेश की पालना में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इंतकाल सं. 1418 मृतक व्यक्ति जगनी के पक्ष में खोला गया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी होते ही दिनांक 31.10.2022 को यह अपील बिना किसी देरी के मध्य अवधि प्रस्तुत की गई। फिर भी यदि किसी कारणवश देरी मानी जावे तो प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की दिनांक 29.09.22 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 31.10.22 को अपील पेश किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र में अंकित है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम खलुन्दा की आराजी खाता सं. 73 के खसरा सं. 874 रकबा 0.8822 हैक्टेयर एवं ख.सं. 876 रकबा 1.8535 हैक्टेयर का खातेदार जीतेन्द्र चौहान पुत्र कमलेश कुमार जाति धोबी निवासी बून्दी था तथा खाता सं. 326 के खसरा सं. 1132 रकबा 0.7284 हैक्टेयर एवं ख.सं. 201/646 रकबा 0.0081 हैक्टेयर की खातेदार निर्मला पत्नी सतीश जाति धोबी निवासी कोटा थी। न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी की मिसल सं. 100/अपील/2012 निर्णय दिनांक 02.09.2013 की पालना में एवं तहसील आदेश क्रमांक भू.अ./22/ 4071–72 दिनांक 20.06.2022 की पालना में न्यायालय आदेश का नामान्तरकरण संख्या 1418 दिनांक 19.07.2022 तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि वह अपील विषयक भूमि पर काबिज काश्त खातेदार होते हुये उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना उसका नाम खाते से हटाकर मृतक व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के अवलोकन से प्रकट है कि ग्राम खलुन्दा की आराजी खसरा संख्या 201/646 रकबा 01 बिस्वा, ख.सं. 874 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं. 876 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं. 1132 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा मु0 जगनी जोजे जगन्नाथ जाति धोबी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, जो जर्ये नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 14.06.2001 से मृतक जगनी के स्थान पर लटूर आ. जगन्नाथ, चन्दुबाई, कान्ताबाई, शान्ताबाई दु0 जगन्नाथ कौम धोबी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2001 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आराजी खसरा नं. 874 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नं. 876 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा के खातेदारान चन्दूबाई, कान्ताबाई, शांताबाई पुत्रियां जगन्नाथ द्वारा जर्ये मुख्तारनामा आम लटूर पुत्र जगन्नाथ जाति धोबी निवासी खलुन्दा एवं स्वयं खातेदार लटूर पुत्र जगन्नाथ जाति धोबी निवासी खलुन्दा द्वारा द्वितीयपक्ष केता जितेन्द्र चौहान पुत्र कमलेशकुमार जाति धोबी निवासी भावल्दी बावडी, बून्दी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2076 के अवलोकन से प्रकट है कि ग्राम खलुन्दा की आराजी खाता सं. 73 के खसरा सं. 874 रकबा 0.8822 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 876 रकबा 1.8535 हैक्टेयर जीतेन्द्र चौहान पुत्र कमलेश कुमार जाति धोबी निवासी भावल्दी बावडी, बून्दी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 100/अपील/2012 पर पारित आदेश दिनांक 02.09.2013 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1418 दिनांक 19.07.2022 तस्दीक किया गया है, जो तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। यदि अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 02.09.2013 से नाइत्तेफाकी है तो अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के मूल आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। न्यायालय निर्णय की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी